(25)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र सी/3–15/2009/3/एक भोपाल, दिनांक 07 नवम्बर, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–विलम्ब से टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण सहायक ग्रेड–3 को समयमान वेतन का लाभ दिये जाने के संबंध में।

संदर्भः–वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. एफ–11/1/2008/नियम/चार, दिनांक–24 जनवरी 2008.

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों के लिये समयमान वेतन योजना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से प्रभावशील की गई है जिसके अनुसार 'अ' तथा 'ब' वर्ग के सिविल सेवाओं के सदस्यों को उच्चतर वेतनमान का लाभ सेवा में नियुक्ति पश्चात् क्रमशः 8 वर्ष एवं 16 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तथा 'स' वर्ग की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में नियुक्ति के 10 वर्ष एवं 20 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

2/ शासन के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया कि ऐसे सहायक ग्रेड–3, जिन्होंने हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा विलम्ब से उत्तीर्ण की है, को समयमान वेतन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ देने हेतु सेवा की गणना नियुक्ति दिनांक से की जाना है अथवा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से। शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ऐसे सहायक ग्रेड–3, जिन्होंने नियुक्ति उपरांत विलम्ब से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा जिन्हें नियमानुसार हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई है, को केवल समयमान वेतन स्वीकृत करने की दृष्टि से उनकी सेवा की गणना नियुक्ति दिनांक से की जाये। इस प्रकार सेवा की गणना तथा यह लाभ अन्य किसी प्रयोजन (वरिष्ठता एवं पदोन्नति) आदि के लिये मान्य नहीं होगा।

6/11/09

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

निरंतर....

पृष्ठांकन : क्र. सी/3–15/2009/3/एक भोपाल, दिनांक 07 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय, मध्य प्रदेश भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव/, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल।

(आर0के0गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग